



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 65/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009

दिनांक 21 जनवरी, 2009

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
सोनभद्र/अलीगढ़/झाँसी/कानपुर,

विषय:- विमागीय कार्मिकों के मोबाइल सुविधा एवं विद्युत बिल कटौती की दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजनाओं पर तैनात रसायनज्ञों को मोबाइल सुविधा की प्रतिपूर्ति निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1013/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2008/मोबाइल दिनांक 12.06.2008 के क्रमांक 8 पर उल्लिखित अन्य कार्मिकों की भाँति एवं विद्युत कटौती निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 446/उ०नि०लि०/मु०अभि० (वा०)/2008-09/एल०एम०वी०-10 दिनांक 30.08.2008 में उल्लिखित तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की भाँति की जायेगी।

अवर अभियन्ताओं के संदर्भ में मोबाइल सुविधा की प्रतिपूर्ति एवं विद्युत कटौती संदर्भित निगमादेशों में स्वतः स्पष्ट है।

प्रबन्ध निदेशक


संख्या 65 (1)मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009,

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, मानव संसाधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(औद्योगिक सम्बन्ध/रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. उप मुख्य लेखाधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
6. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सर्तकता एवं जाँच), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. उपसचिव/अनुसचिव (मा०सं०-01/02/03/04/06), मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

आज्ञा से,



(सतीश चन्द्र खरे)

अनुसचिव (मा०सं०-04)

D G M (21-01)

28
24